

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/3091 भोपाल, दिनांक 12/07/2023

प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),  
पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर, म.प्र.।

विषय:- सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR016/2023-BHO दिनांक 22.06.2023 .

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12/07/2023


पृ. क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/3092  
प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी/सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 016/2023-बीएचओ/

दिनांक : 22/06/2023.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)  
मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल,  
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 176.24 हेक्टेयर (34.32 हे. सीधी वनमण्डल एवं 141.92 हे. सिंगरौली वनमण्डल) आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1230/2022/10-11/1917 दिनांक 12/05/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियों/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारियों/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-


1. Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be uploaded. UA
2. It is a new railway line project, alternative alignment (KML file also) with comparative statement shall be submitted. UA
3. KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded. UA
4. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted. UA
5. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded. DFO
6. No objection certificates of concerned department (Road, WRD, TL, Coal etc) shall be submitted. UA
7. Proper Cost-Benefit analysis as per revised NPV rate shall be submitted. UA
8. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted. UA
9. As per SIR of CF, one number of displacement is involved. Rehabilitation plan needs to be submitted. UA
10. Proper CA schemes & Maps shall be uploaded. DFO
11. Some part of the proposed diversion area is part of Elephant Corridor (PF-781 & 782). Comments of CWLW, Govt. of M.P. need to be submitted. WL
12. As per DSS analysis, the CA area has 76.00 ha MDF. It shall be rectified. DFO
13. As per DSS analysis, in the CA area 12.39 ha has agriculture encroachment and 9.18 ha has previous plantation impression. These shall be clarified. DFO

I/47011/2023

14. As per DSS analysis, the proposed diversion area falls in Son-Ghariyal WLS, thus, approval from competent authority shall be submitted. WL
15. The proposed forest area involves in Sidhi Division is only 34.32 ha and total trees marked for felling is 16574 numbers. The alignment may be revisited by concerned DFO to reduce felling of trees. VA

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

भवटीया



(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 22-06-2023 16:35:15

Reason: Approved